सूचना का अधिकार अधिनियम-2005

अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियां एवं कर्तव्य
(मैनुअल-2)

सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड

केवल E-mail/Fax द्वारा

उत्तराखण्ड सरकार

कार्यालय महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड
'सूचना भवन' लाडपुर रिंग रोड, देहरादून
E-mail : infodg.uk@gmail.com, dg-info-uk@nic.in दूरभाषः 0135–2662971 / फैक्सः 2662334

पत्रांकः /सू.एवंलो.स.वि.(प्रशा.)–31/2011 दिनांक 6 अप्रैल, 2018

कार्यालय आदेश

सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड के प्रशासनिक अधिकारी, श्री पान सिंह बिष्ट को, नियमित चयनोपरान्त, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, लेवल–8, वेतनमान ₹47600–151100 के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से पदोन्नति करते हुए दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि में रखा जाता है।

2. उक्त पदोन्नति अस्थाई है। यदि उत्तर प्रदेश से उत्तराखण्ड राज्य के लिए आवंटित ज्येष्ठ कार्मिक/कार्मिकों द्वारा सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड में कार्यभार ग्रहण किया जाता है तो श्री पान सिंह बिष्ट को प्रशासनिक अधिकारी के पद पर प्रत्यावर्तित कर दिया जायेगा।

3. प्रश्नगत पदोन्नति श्री मनोज कुमार शुक्ला द्वारा मा. उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड, नैनीताल में योजित रिट याचिका संख्याः 37(एस.एस.)/2010 में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगी।

4. श्री पान सिंह बिष्ट अग्रेत्तर आदेशों तक पूर्व में आवंटित कार्य यथावत सम्पादित करते रहेंगे।

(डॉ. पंकज कुमार पाण्डेय)
महानिदेशक

संख्या 295 (1)/सू.एवंलो.सं.वि.(प्रशा.)–31/2011, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, सहारनपुर रोड, देहरादून।
2. सचिव सूचना, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
3. वित्त अधिकारी, साइबर ट्रेजरी, कोषागार निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून को लेखा प्रभाग के माध्यम से।
4. समस्त विभागीय अधिकारी/प्रभाग/शाखायें।
5. निदेशक, राजकीय मुद्राणालय, रामनगर, रूड़की, हरिद्वार को इस आशय से प्रेषित कि कृपया इसका प्रकाशन आगामी प्रकाशित होने वाले गजट में करते हुए उसकी 20 प्रतियां इस विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
6. लेखा प्रभाग, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. सम्बन्धित कार्मिक को।
8. सम्बन्धित कार्मिक की निजी पत्रावली हेतु।
9. विभागीय वेबसाइट हेतु।

5/4/18
(डॉ. अनिल चन्दोला)
अपर निदेशक

केवल E-mail/Fax द्वारा

उत्तराखण्ड सरकार

कार्यालय महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड
'सूचना भवन' लाडपुर रिंग रोड, देहरादून

E-mail : infodg.uk@gmail.com, dg-info-uk@nic.in   दूरभाषः 0135–2662971 / फैक्सः 2662334

पत्रांकः 373 / सू.एवंलो.स.वि.(प्रशा.)–03 / 2000   दिनांक 26 अप्रैल, 2018

कार्यालय आदेश

सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड के अन्तर्गत जिला सूचना कार्यालय, देहरादून में कार्यरत जिला सूचना अधिकारी, श्री अजय मोहन सकलानी को अग्रिम आदेशों तक सूचना मुख्यालय, देहरादून में सम्बद्ध किया जाता है।

2. श्री अजय मोहन सकलानी, जिला सूचना अधिकारी, देहरादून की उक्त सम्बद्धता अवधि में उनसे संबंधित नैत्यिक कार्यों का निर्वहन अतिरिक्त जिला सूचना अधिकारी, श्री बीरेन्द्र सिंह राणा द्वारा अपने कार्यों के साथ किया जायेगा।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

(डॉ. पंकज कुमार पाण्डेय)
महानिदेशक

संख्याः 373 (1) / सू.एवंलो.स.वि.(प्रशा.)–03 / 2000, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. सचिव सूचना, उत्तराखण्ड शासन।
2. जिलाधिकारी / वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
3. समस्त विभागीय अधिकारी / प्रभाग / शाखायें, मुख्यालय।
4. जिला सूचना कार्यालय, देहरादून।
5. संबंधित कार्मिक।
6. संबंधित कार्मिकों की निजी पत्रावली हेतु।
7. विभागीय वेबसाइट हेतु।

(डॉ. पंकज कुमार पाण्डेय)
महानिदेशक

केवल **E-mail/Fax द्वारा**

उत्तराखण्ड सरकार

कार्यालय महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड

'सूचना भवन' लाडपुर रिंग रोड, देहरादून

E-mail : infodg.uk@gmail.com, dg-info-uk@nic.in **दूरभाषः 0135–2662971 / फैक्सः 2662334**

पत्रांकः 475 / सू.एवंलो.स.वि.(प्रशा.)–03 / 2001 दिनांक 31 मई, 2018

कार्यालय आदेश

कार्य आवंटन / तैनाती विषयक पूर्व में निर्गत आदेशों को आंशिक रूप से संशोधित करते हुए सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड के उपनिदेशक, श्री नितिन उपाध्याय को सूचना परिसर, राजभवन, उत्तराखण्ड तथा श्री रवि बिजारनियां, सहायक निदेशक को मा. मुख्यमंत्री प्रचार यूनिट में तैनात किया जाता है।

श्री रवि बिजारनियां प्रभारी मीडिया सेंटर सचिवालय / मा. मुख्यमंत्री प्रचार यूनिट के दायित्वों के साथ श्री नितिन उपाध्याय को पूर्व में आवंटित कार्य / दायित्वों का भी निर्वहन करेंगे।

(डॉ. पंकज कुमार पाण्डेय)
महानिदेशक

संख्याः 475 (1) / सू.एवंलो.स.वि.(प्रशा.)–03 / 2001, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
2. प्रमुख निजी सचिव, मा. मुख्यमंत्री उत्तराखण्ड को मा. मुख्यमंत्री जी के संज्ञानार्थ।
3. सचिव सूचना, उत्तराखण्ड शासन।
4. समस्त विभागीय अधिकारी / प्रभाग / शाखायें, मुख्यालय।
5. संबंधित अधिकारी।
6. विभागीय वेबसाइट हेतु।

31/5/18

(डॉ. पंकज कुमार पाण्डेय)
महानिदेशक

केवल E-mail/Fax द्वारा

उत्तराखण्ड सरकार

कार्यालय महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड
'सूचना भवन' लाडपुर रिंग रोड, देहरादून
E-mail : infodg.uk@gmail.com, dg-info-uk@nic.in दूरभाषः 0135–2662971 / फैक्सः 2662334

पत्रांकः 494/ सू.एवंलो.सं.वि.(प्रशा.)–05 / 2018 दिनांक 7 जून, 2018

कार्यालय आदेश

'उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 (संख्याः 01, वर्ष 2018)' की धारा–16 के अनुसार गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड के निम्नांकित कार्मिकों का स्थानान्तरण उनके नाम के सम्मुख कालम–3 में अंकित कार्यालय से कालम–4 में अंकित कार्यालय में किया जाता है:–

क्र.सं.	कार्मिक का नाम एवं पदनाम	वर्तमान तैनाती कार्यालय का नाम	नयी तैनाती कार्यालय का नाम
1	2	3	4
1.	श्री प्रकाश सिंह भण्डारी, जिला सूचना अधिकारी	जिला सूचना कार्यालय, पौडी गढवाल	सूचना मुख्यालय, उत्तराखण्ड, देहरादून
2.	श्री गोविन्द सिंह बिष्ट, अतिरिक्त जिला सूचना अधिकारी	मीडिया सेंटर, हल्द्वानी, नैनीताल	जिला सूचना कार्यालय, उत्तरकाशी
3.	श्री भरत सिंह रावत, कनिष्ठ सहायक	सूचना मुख्यालय, उत्तराखण्ड, देहरादून	जिला सूचना कार्यालय, बागेश्वर
4.	श्रीमती संतोषी नेगी कनिष्ठ सहायक	सूचना मुख्यालय, उत्तराखण्ड, देहरादून	जिला सूचना कार्यालय, पौडी गढवाल
5.	श्री रति लाल, संरक्षक–सह–डाटा एंट्री आपरेटर	सूचना मुख्यालय, उत्तराखण्ड, देहरादून	जिला सूचना कार्यालय, पिथौरागढ़

इस संबंध में यह भी स्पष्ट किया जाता है किः–

1. उपरोक्त स्थानान्तरित कार्मिक स्थानान्तरण अधिनियम की धारा–22 के अनुसार स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह के अन्तर्गत प्रतिस्थानी की प्रतिक्षा किये बिना नये तैनाती स्थान पर अपना कार्यभार ग्रहण करेंगे। संबंधित अधिकारी स्थानान्तरित कार्मिकों को तद्नुसार तत्काल अवमुक्त करेंगे। अवमुक्त होने वाले कार्मिक नियमानुसार अनुमन्य 'कार्यभार ग्रहण अवधि (joining time)' का उपभोग नव तैनाती के पद का कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त ही कर सकेंगे तथा अवमुक्ति के उपरान्त मात्र अनुमन्य 'यात्रा अवधि (journey time)' का ही उपभोग करेंगे;
2. स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा;
3. स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों के द्वारा नव तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरूद्ध अधिनियम की धारा–24 के अनुसार दण्डात्मक कार्रवाई की जायेगी;
4. स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा स्थानान्तरण अधिनियम की धारा–22 (4) के अनुसार स्थानान्तरण आदेश में विद्यमान किसी सारगर्भित / टंकण त्रुटि के निराकरण हेतु स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के 03 दिन के अन्दर अधोहस्ताक्षरी से एक स्तर उच्च अधिकारी को प्रत्यावेदन दिया जा सकेगा;
5. यदि स्थानान्तरित कार्मिकों द्वारा स्थानान्तरण रोकने के लिए अपने माता–पिता, पति / पत्नी अथवा अन्य संबंधियों से प्रत्यावेदन प्रेषित किये जाते हैं तो उसे अनिवार्य रूप से उस कार्मिक की व्यक्तिगत पत्रावली में रखा जायेगा और ऐसे प्रत्यावेदनों को अग्रसारित नहीं किया जायेगा तथा संबंधित कार्मिक की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि में भी इस आचरण को अंकित किया जायेगा;

6. स्थानान्तरण आदेश के विरूद्ध दबाव डलवाने का प्रयास करने की स्थिति में इस कृत्य/आचरण को "सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली" का उल्लंघन मानते हुए संबंधित कार्मिक के विरूद्ध "उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 2003 (समय-समय पर यथासंशोधित) के संगत प्राविधानों के अनुसार अनुशासनिक कार्रवाई की जायेगी;
7. स्थानान्तरण अधिनियम के अन्तर्गत दिये गये आदेश या निदेश का उल्लंघन या उल्लंघन करने का प्रत्यन अधिनियम की धारा-24(3) के अनुसार दण्डनीय होगा;
8. स्थानान्तरण अधिनियम की धारा-22(1) के अनुसार इस आदेश के जारी होने की तिथि के सात दिन के पश्चात वर्तमान तैनाती कार्यालय के स्तर से स्थानान्तरित होने वाले कार्मिक का वेतन आहरित नहीं किया जायेगा;
9. स्थानान्तरण अधिनियम की धारा-7(ग) के अनुसार सुगम क्षेत्र से दुर्गम क्षेत्र के लिए स्थानान्तरित उपरोक्त कार्मिक दुर्गम क्षेत्र में तैनाती संबंधी न्यूनतम अवधि पूर्ण करने की तिथि को अनिवार्य रूप से सुगम क्षेत्र के लिए अवमुक्त कर दिये जायेंगे।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

(डॉ. पंकज कुमार पाण्डेय)
महानिदेशक

संख्याः 494 (1)/सू.एवंलो.सं.वि.(प्रशा.)-05/2018, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. सचिव सूचना, उत्तराखण्ड शासन।
2. जिलाधिकारी, पौडी गढवाल/नैनीताल/देहरादून/उत्तरकाशी/बागेश्वर/पिथौरागढ़।
3. वरिष्ठ कोषाधिकारी, पौड़ी गढ़वाल/नैनीताल/देहरादून/उत्तरकाशी/बागेश्वर/पिथौरागढ़।
4. वरिष्ठ वित्त अधिकारी, सूचना विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून
5. संबंधित आहरण वितरण अधिकारियों/कोषाधिकारियों को इस आशय के साथ प्रेषित कि इस आदेश के जारी होने की तिथि के सात दिन पश्चात स्थानान्तरित कार्मिक का वेतन आहरित न करें।
6. समस्त विभागीय अधिकारी/प्रभाग/शाखायें, मुख्यालय।
7. उपनिदेशक, मीडिया सेंटर, हल्द्वानी, नैनीताल।
8. प्रभारी, उत्तराखण्ड राज्य सूचना केन्द्र, नई दिल्ली।
9. समस्त जिला सूचना अधिकारी, उत्तराखण्ड।
10. लेखा प्रभाग, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
11. संबंधित कार्मिक/संबंधित कार्मिकों की निजी पत्रावली हेतु।
12. नोटिस बोर्ड/विभागीय वेबसाइट हेतु।

(डॉ. पंकज कुमार पाण्डेय)
महानिदेशक

उत्तराखण्ड सरकार
कार्यालय महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड
सूचना भवन, लाड़पुर रिंग रोड़ देहरादून
E-mail : infodg.uk@gmail.com, dg-info-uk@nic.in दूरभाष : 0135–2662971 / फैक्स : 2662334

पत्रांक : 533 / सू.एवंलो.सं.वि.(प्रशा.)–03 / 2000 दिनांक 29 जून, 2018

कार्यालय–आदेश

सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड के निम्नांकित अधिकारियों का स्थानान्तरण / तैनाती उनके नाम के सम्मुख कालम–4 में अंकित कार्यालय में की जाती है:–

क्र.सं.	अधिकारी / कर्मचारी का नाम	वर्तमान तैनाती कार्यालय का नाम	नवीन तैनाती कार्यालय का नाम
1	2	3	4
1.	श्री प्रकाश सिंह भण्डारी	सूचना अधिकारी, मुख्यालय	जिला सूचना कार्यालय, देहरादून
2.	श्री बद्री चन्द्र	जिला सूचना कार्यालय, उत्तरकाशी	जिला सूचना कार्यालय, पौड़ी

2. उपरोक्त अधिकारियों को नवीन तैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

(डॉ. पंकज कुमार पाण्डेय)
महानिदेशक

संख्याः 533 (1) / सू.एवंलो.सं.वि.(प्रशा.)–03 / 2000, तद्दिनांकित

प्रतिलिपिः निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. सचिव सूचना, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. आयुक्त गढ़वाल मण्डल, पौड़ी गढ़वाल।
3. जिलाधिकारी देहरादून / उत्तरकाशी / पौड़ी।
4. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून / उत्तरकाशी / पौड़ी।
5. वित्त अधिकारी, साइबर ट्रेजरी, कोषागार निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
6. समस्त विभागीय अधिकारी / प्रभाग / शाखायें, मुख्यालय।
7. समस्त जिला सूचना अधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. संबंधित अधिकारी।
9. संबंधित अधिकारियों की निजी पत्रावली हेतु।
10. विभागीय वेबसाइट हेतु।

(डॉ. पंकज कुमार पाण्डेय)
महानिदेशक

उत्तराखण्ड सरकार
कार्यालय महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड
सूचना भवन, लाड़पुर रिंग रोड़ देहरादून
E-mail : infodg.uk@gmail.com, dg-info-uk@nic.in   दूरभाष : 0135–2662971 / फैक्स : 2662334

पत्रांक : 534 / सू.एवंलो.सं.वि.(प्रशा.)–03 / 2000   दिनांक 29 जून, 2018

कार्यालय–आदेश

सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड के अन्तर्गत जिला सूचना कार्यालय उधमसिंहनगर में कार्यरत अतिरिक्त जिला सूचना अधिकारी, श्री अहमद नदीम की तैनाती जिला सूचना कार्यालय नैनीताल में की जाती है।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

(डॉ. पंकज कुमार पाण्डेय)
महानिदेशक

संख्याः 534 (1)/ सू.एवंलो.सं.वि.(प्रशा.)–03 / 2000, तद्दिनांकित

प्रतिलिपिः निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. सचिव सूचना, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. आयुक्त कुमॉऊ मण्डल, नैनीताल।
3. जिलाधिकारी उधमसिंहनगर / नैनीताल।
4. वरिष्ठ कोषाधिकारी, उधमसिंहनगर / नैनीताल।
5. वित्त अधिकारी, साइबर ट्रेजरी, कोषागार निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
6. समस्त विभागीय अधिकारी / प्रभाग / शाखायें, मुख्यालय।
7. समस्त जिला सूचना अधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. संबंधित कर्मचारी को।
9. संबंधित कर्मचारी की निजी पत्रावली हेतु।
10. विभागीय वेबसाइट हेतु।

(डॉ. पंकज कुमार पाण्डेय)
महानिदेशक

उत्तराखण्ड सरकार

कार्यालय महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड

'सूचना भवन' लाडपुर रिंग रोड, देहरादून

E-mail : infodg.uk@gmail.com, dg-info-uk@nic.in   दूरभाष: 0135–2662971 / फैक्स: 2662334

पत्रांकः 544 / सू.एवंलो.स.वि.(प्रशा.)–04 / 2001   दिनांक 3 जुलाई, 2018

कार्यालय आदेश

उत्तराखण्ड शासन, वित्त (वै.आ.–सा.नि.)अनु.–7 के शासनादेश संख्याः 34 / xxxii (7) / 2012, दिनांक 24 फरवरी, 2012 के अनुसार निदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून को कोड संख्या–4731 का आहरण वितरण अधिकारी घोषित किया गया है।

मैं, डॉ. पंकज कुमार पाण्डेय, निदेशक / महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–5 भाग–1 के परिच्छेद 47जी की टिप्पणी–1 के अन्तर्गत कोड संख्या–4731 के आहरण वितरण हेतु श्री आशिष कुमार त्रिपाठी, संयुक्त निदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून को अधिकृत करता हूँ।

श्री आशिष कुमार त्रिपाठी के नमूना हस्ताक्षर निम्नानुसार प्रमाणित किये जाते हैं।

श्री आशिष कुमार त्रिपाठी
संयुक्त निदेशक

नमूना हस्ताक्षर

1. ....
2. ....
3. ....

(डॉ. पंकज कुमार पाण्डेय)
निदेशक / महानिदेशक

संख्याः 544 (1) / सूएवंलो.स.वि.(प्रशा.)–04 / 2001, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, सहारनपुर रोड़, देहरादून।
2. मुख्य कोषाधिकारी, देहरादून।
3. समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी / कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
4. वित्त एवं लेखाधिकारी, उत्तराखण्ड भवन, नई दिल्ली।
5. वित्त अधिकारी, साइबर ट्रेजरी, कोषागार निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
6. समस्त विभागीय अधिकारी / प्रभाग।
7. शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टैट बैंक, मुख्य शाखा / राजपुर रोड़ / साइबर ट्रेजरी, देहरादून।
8. प्रभारी अधिकारी, उत्तराखण्ड राज्य सूचना केन्द्र, नई दिल्ली।
9. समस्त जिला सूचना अधिकारी / जिला सूचना कार्यालय, उत्तराखण्ड।
10. लेखा प्रभाग, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।

(डॉ. पंकज कुमार पाण्डेय)
निदेशक / महानिदेशक

उत्तराखण्ड सरकार
कार्यालय महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड
सूचना भवन, लाड़पुर रिंग रोड़ देहरादून
E-mail : infodg.uk@gmail.com, dg-info-uk@nic.in दूरभाष : 0135–2662971 / फैक्स : 2662334

पत्रांक : 555 (1) / सू.एवंलो.सं.वि.(क्षे.प्र.)–11 / 2003 दिनांक 5 जुलाई, 2018

कार्यालय–आदेश

सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड के अन्तर्गत जिला सूचना कार्यालय, उत्तरकाशी में कार्यरत अनुसेवक, श्री मनोज कुमार जोशी का स्थानान्तरण शासकीय कार्य / जनहित के आधार पर जिला सूचना कार्यालय, पिथौरागढ़ किया जाता है। संबंधित कार्मिक को नियमानुसार स्थानान्तरण भत्ता देय होगा।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

(डॉ. पंकज कुमार पाण्डेय)
महानिदेशक

संख्या: 555 (1) / सू.एवंलो.स.वि.(क्षे.प्र.)–11 / 2003, तद्दिनांकित्।

प्रतिलिपि निम्नांकित् को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. जिलाधिकारी, उत्तरकाशी / पिथौरागढ़।
2. वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तरकाशी / पिथौरागढ़।
3. जिला सूचना कार्यालय, उत्तरकाशी / पिथौरागढ़।
4. संबंधित कार्मिक को।
5. संबंधित कार्मिक की निजी पत्रावली हेतु।

5.7.18

(डॉ. अनिल चन्दोला)
अपर निदेशक

उत्तराखण्ड सरकार

कार्यालय महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड

सूचना भवन, लाड़पुर रिंग रोड़ देहरादून

E-mail : infodg.uk@gmail.com, dg-info-uk@nic.in दूरभाष : 0135–2662971 / फैक्स : 2662334

पत्रांक : 575 / सू.एवंलो.स.वि.(क्षे.प्र.)–11 / 2003 दिनांक 11 जुलाई, 2018

कार्यालय–आदेश

सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड के अन्तर्गत जिला सूचना कार्यालय, उत्तरकाशी में कार्यरत संरक्षक, श्री सुरेश कुमार का स्थानान्तरण शासकीय कार्य / जनहित के आधार पर जिला सूचना कार्यालय, अल्मोड़ा किया जाता है। संबंधित कार्मिक को नियमानुसार स्थानान्तरण भत्ता देय होगा।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

(डॉ. पंकज कुमार पाण्डेय)
महानिदेशक

संख्या:575(1) / सू.एवंलो.स.वि.(क्षे.प्र.)–11 / 2003, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नांकित् को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. जिलाधिकारी, उत्तरकाशी / अल्मोड़ा।
2. वरिष्ठ कोषाधिकारी,उत्तरकाशी / अल्मोड़ा।
3. जिला सूचना कार्यालय, उत्तरकाशी / अल्मोड़ा।
4. संबंधित कार्मिक को।
5. संबंधित कार्मिक की निजी पत्रावली हेतु।

(डॉ. अनिल चन्दोला)
अपर निदेशक

उत्तराखण्ड सरकार
कार्यालय महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड
'सूचना भवन' लाडपुर रिंग रोड, देहरादून
E-mail : infodg.uk@gmail.com, dg-info-uk@nic.in दूरभाषः 0135–2662971 / फैक्सः 2662334

पत्रांकः 602 / सू.एवंलो.सं.वि.(प्रशा.)–03 / 2000 दिनांक 16 जुलाई, 2018

कार्यालय–आदेश

सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड (मुख्यालय) के कनिष्ठ सहायक, श्री सुरेश चन्द्र भट्ट का स्थानान्तरण, शासकीय कार्यहित / जनहित में, जिला सूचना कार्यालय, देहरादून में किया जाता है।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

16/7/18

(डॉ. पंकज कुमार पाण्डेय)
महानिदेशक

संख्याः 602 (1) / सू.एवंलो.स.वि.(प्रशा.)–03 / 2000, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महानिदेशक सूचना, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. जिलाधिकारी, देहरादून।
3. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
4. सूचना अधिकारी, जिला सूचना कार्यालय, देहरादून।
5. संबंधित कर्मचारी।

(डॉ. पंकज कुमार पाण्डेय)
महानिदेशक

उत्तराखण्ड सरकार

कार्यालय महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड

सूचना भवन, लाड़पुर रिंग रोड़ देहरादून

E-mail : infodg.uk@gmail.com, dg-info-uk@nic.in दूरभाष : 0135–2662971 / फैक्स : 2662334

पत्रांक : 603 / सू.एवंलो.सं.वि.(प्रशा.)–11 / 2003 दिनांक 17 जुलाई, 2018

कार्यालय–आदेश

सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड के अन्तर्गत जिला सूचना कार्यालय हरिद्वार में कार्यरत अतिरिक्त जिला सूचना अधिकारी, कु. जानकी देवी की तैनाती शासकीय कार्य / जनहित के आधार पर जिला सूचना कार्यालय टिहरी में की जाती है।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

(डॉ. पंकज कुमार पाण्डेय)
महानिदेशक

संख्याः 603 (1) / सू.एवंलो.सं.वि.(प्रशा.)–11 / 2003, तद्दिनांकित

प्रतिलिपिः निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. सचिव सूचना, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. जिलाधिकारी हरिद्वार / टिहरी।
3. वरिष्ठ कोषाधिकारी, हरिद्वार / टिहारी।
4. समस्त विभागीय अधिकारी / प्रभाग / शाखायें, मुख्यालय।
5. समस्त जिला सूचना अधिकारी, उत्तराखण्ड।
6. संबंधित कार्मिक को।
7. संबंधित कर्मचारी की निजी पत्रावली हेतु।
8. विभागीय वेबसाइट हेतु।

(डॉ. पंकज कुमार पाण्डेय)
महानिदेशक

उत्तराखण्ड सरकार
कार्यालय महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड
'सूचना भवन' लाडपुर रिंग रोड, देहरादून
E-mail : infodg.uk@gmail.com, dg-info-uk@nic.in दूरभाष0 135–2662971 / फैक्स: 2662334

पत्रांकः 605 / सू.एवंलो.सं.वि.(प्रशा.)–03 / 2000 दिनांक 17 जुलाई, 2018

कार्यालय आदेश

विभागीय कार्यालय आदेश संख्याः 601 / सू.एवंलो.सं.वि.(प्रशा.) –03 / 2000 दिनांक 16 जुलाई, 2018 के माध्यम से सूचना मुख्यालय से जिला सूचना कार्यालय, देहरादून के लिए स्थानान्तरित वाहन चालक, श्री गोवर्द्धन दास को आज दिनांक 17 जुलाई, 2018 के अपरान्ह से नये तैनाती स्थान / कार्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु एतदद्वार कार्यमुक्त किया जाता है।

श्री गोवर्द्धन दास तत्काल नये तैनाती स्थान / कार्यालय में कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करेंगे।

17.7.18
(डॉ अनिल चन्दोला)
अपर निदेशक

संख्याः 605 (1) / सू.एवंलो.स.वि.(प्रशा.)–03 / 2000,तद्दिनांकित।
प्रतिलिपिः निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महानिदेशक, सूचना, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. जिलाधिकारी, देहरादून।
3. मुख्य कोषाधिकारी, देहरादून।
4. वरिष्ठ वित्त अधिकारी, सूचना विभाग, देहरादून।
5. वित्त अधिकारी, साइबर टेजरी, कोषागार निदेशालय, देहरादून।
6. जिला सूचना अधिकारी, देहरादून।
7. लेखा प्रभाग।
8. संबंधित कर्मचारी।
9. सम्बन्धित कर्मचारी की निजी पत्रावली।
10. विभागीय वेबसाइट हेतु।

17.7.
(डॉ अनिल चन्दोला)
अपर निदेशक

उत्तराखण्ड सरकार
कार्यालय महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड
'सूचना भवन' लाडपुर रिंग रोड, देहरादून
E-mail : infodg.uk@gmail.com, dg-info-uk@nic.in दूरभाष0 135–2662971 / फैक्सः 2662334

पत्रांकः 604/सू.एवंलो.सं.वि.(प्रशा.)–03/2000 दिनांक 17 जुलाई, 2018

कार्यालय आदेश

विभागीय कार्यालय आदेश संख्याः 602/सू.एवंलो.सं.वि.(प्रशा.) –03/2000 दिनांक 16 जुलाई, 2018 के माध्यम से सूचना मुख्यालय से जिला सूचना कार्यालय, देहरादून के लिए स्थानान्तरित कनिष्ठ सहायक, श्री सुरेश चन्द्र भट्ट को आज दिनांक 17 जुलाई, 2018 के अपरान्ह से नये तैनाती स्थान/कार्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु एतद्द्वार कार्यमुक्त किया जाता है।

श्री सुरेश चन्द्र भट्ट तत्काल नये तैनाती स्थान/कार्यालय में कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करेंगे।

17.7.
(डॉ अनिल चन्दोला)
अपर निदेशक

संख्याः 604 (1)/सू.एवंलो.स.वि.(प्रशा.)–03/2000,तद्दिनांकित।
प्रतिलिपिः निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महानिदेशक, सूचना, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. जिलाधिकारी, देहरादून।
3. मुख्य कोषाधिकारी, देहरादून।
4. वरिष्ठ वित्त अधिकारी, सूचना विभाग, देहरादून।
5. वित्त अधिकारी, साइबर टेजरी, कोषागार निदेशालय, देहरादून।
6. जिला सूचना अधिकारी, देहरादून।
7. लेखा प्रभाग।
8. संबंधित कर्मचारी।
9. सम्बन्धित कर्मचारी की निजी पत्रावली।
10. विभागीय वेबसाइट हेतु।

17.7
(डॉ अनिल चन्दोला)
अपर निदेशक

उत्तराखण्ड सरकार

कार्यालय महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड

'सूचना भवन' लाडपुर रिंग रोड, देहरादून

E-mail : infodg.uk@gmail.com, dg-info-uk@nic.in दूरभाष: 0135–2662971 /फैक्स: 2662334

पत्रांकः 619 /सू.एवंलो.स.वि.(प्रशा.)–04/2001 दिनांक 23 जुलाई, 2018

कार्यालय आदेश

उत्तराखण्ड शासन, वित्त (वे.आ.–सा.नि.)अनु.–7 के शासनादेश संख्याः 34/xxxii (7)/2012, दिनांक 24 फरवरी, 2012 के अनुसार निदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून को कोड संख्या–4731 का आहरण वितरण अधिकारी घोषित किया गया है।

मैं, दीपेन्द्र कुमार चौधरी, निदेशक/महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–5 भाग–1 के परिच्छेद 47जी की टिप्पणी–1 के अन्तर्गत कोड संख्या–4731 के आहरण वितरण हेतु श्री आशिष कुमार त्रिपाठी, संयुक्त निदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून को अधिकृत करता हूँ।

श्री आशिष कुमार त्रिपाठी के नमूना हस्ताक्षर निम्नानुसार प्रमाणित किये जाते हैं।

श्री आशिष कुमार त्रिपाठी
संयुक्त निदेशक

नमूना हस्ताक्षर
1. ....
2. ....
3. ....

(दीपेन्द्र कुमार चौधरी)
निदेशक/महानिदेशक

संख्याः 619 (1)/सूएवंलो.स.वि.(प्रशा.)–04/2001, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, सहारनपुर रोड़, देहरादून।
2. मुख्य कोषाधिकारी, देहरादून।
3. समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
4. वित्त एवं लेखाधिकारी, उत्तराखण्ड भवन, नई दिल्ली।
5. वित्त अधिकारी, साइबर ट्रेजरी, कोषागार निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
6. समस्त विभागीय अधिकारी/प्रभाग।
7. शाखाप्रबंधक, भारतीय स्टैट बैंक, मुख्य शाखा/राजपुर रोड़/साइबर ट्रेजरी, देहरादून।
8. प्रभारी अधिकारी, उत्तराखण्ड राज्य सूचना केन्द्र, नई दिल्ली।
9. समस्त जिला सूचना अधिकारी/जिला सूचना कार्यालय, उत्तराखण्ड।
10. लेखा प्रभाग, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।

(दीपेन्द्र कुमार चौधरी)
निदेशक/महानिदेशक

कार्यभार प्रमाणक

कार्मिक अनुभाग –1 उत्तराखण्ड शासनके अर्द्धशा0 पत्र संख्या–721/XXX/–1–2018, दिनांक 19 जुलाई, 2018 जैसा कि यहाँ व्यक्त किया गया है, के क्रम में सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग उत्तराखण्ड के महानिदेशक पद का पदभार आज दिनांक 23 जुलाई, 2018 के पूर्वान्ह् में ग्रहण किया गया।

(दीपेन्द्र कुमार चौधरी)

प्रतिहस्ताक्षरित

मुख्य सचिव
उत्तराखण्ड शासन

संख्याः 623/सू0एवंलो0सं0वि0(प्रशा0)–3/2001
देहरादून : दिनांकः 24 जुलाई, 2018

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. मुंख्य सचिव उत्तराखण्ड शासन।
2. मुख्य स्थानिक आयुक्त, उत्तराखण्ड शासन, नई दिल्ली।
3. अपर मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री उत्तराखण्ड शासन।
4. समस्त अपर प्रमुख सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/प्रभारी सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
5. प्रभारी सचिव, श्री राज्यपाल।
6. आयुक्त गढ़वाल मण्डल–पौड़ी/कुमाऊँ मण्डल–नैनीताल।
7. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. निदेशक कोषागार एवं वित्त सेवायें, उत्तराखण्ड, देहरादून।
9. कार्मिक अनुभाग–1/कार्मिक अनुभाग–3/इरला चेक अनुभाग/सचिवालय प्रशासन (विविध)।
10. निजी सचिव मा0 मुख्यमंत्री जी।
11. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
12. विभाग के समस्त अधिकारियों को।
13. मुख्य कोषाधिकारी, देहरादून।

(दीपेन्द्र कुमार चौधरी)
महानिदेशक सूचना

उत्तराखण्ड सरकार
कार्यालय महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड
'सूचना भवन' लाडपुर रिंग रोड, देहरादून
E-mail : infodg.uk@gmail.com, dg-info-uk@nic.in दूरभाष0 135–2662971 / फैक्स: 2662334

पत्रांकः 628 / सू.एवंलो.सं.वि.(प्रशा.)–04 / 2001 दिनांक 25 जुलाई, 2018

सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड के नवनियुक्त महानिदेशक, श्री दीपेन्द्र कुमार चौधरी, के नमूना हस्ताक्षर निम्नानुसार प्रमाणित किये जाते हैः–

नमूना हस्ताक्षर

1. ....
2. ....
3. ....

(विक्रम सिंह जंतवाल)
वरिष्ठ वित्त अधिकारी
सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून

संख्याः 628 (1) / सू.एवंलो.स.वि.(प्रशा.)–04 / 2001,तद्दिनांकित।
प्रतिलिपिः निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, सहारनपुर रोड़, देहरादून।
2. महानिदेशक, सूचना, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. मुख्य कोषाधिकारी, देहरादून।
4. समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी / कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. वित्त अधिकारी, साइबर टेजरी, कोषागार निदेशालय, देहरादून।
6. वित्त अधिकारी, उत्तराखण्ड भवन, नई दिल्ली।
7. शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, मुख्य शाखा / राजपुर रोड़ / साइबर ट्रेजरी, देहरादून।
8. लेखा प्रभाग।

(विक्रम सिंह जंतवाल)
वरिष्ठ वित्त अधिकारी
सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून

उत्तराखण्ड सरकार
कार्यालय महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड
'सूचना भवन' लाडपुर रिंग रोड, देहरादून
E-mail : infodg.uk@gmail.com, dg-info-uk@nic.in दूरभाष: 0135–2662971 / फैक्स: 2662334

पत्रांकः 627/सू.एवंलो.सं.वि.(प्रशा.)–03/2000 दिनांक 25 जुलाई, 2018

कार्यालय–आदेश

पूर्व में निर्गत कार्यालय आदेश संख्या 602/सू.एवंलो.सं.वि.(.प्रशा.)–03/2000 दिनांक 16 जुलाई, 2018 को निरस्त करते हुए जिला सूचना कार्यालय, देहरादून में कार्यरत कनिष्ठ सहायक, श्री सुरेश चन्द्र भट्ट का स्थानान्तरण, शासकीय कार्यहित/जनहित में, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड (मुख्यालय) देहरादून में किया जाता है।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

(दीपेन्द्र कुमार चौधरी)
महानिदेशक

संख्याः 627 (1)/सू.एवंलो.स.वि.(प्रशा.)–03/2000, तद्दिनांकित।
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. जिलाधिकारी, देहरादून।
2. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
3. वरिष्ठ वित्त अधिकारी, साइबर ट्रेजरी, कोषागार निदेशालय,देहरादून।
4. सूचना अधिकारी, जिला सूचना कार्यालय, देहरादून।
5. लेखा प्रभाग।
6. संबंधित कर्मचारी।

(दीपेन्द्र कुमार चौधरी)
महानिदेशक

उत्तराखण्ड सरकार
कार्यालय महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड
सूचना भवन, लाड़पुर रिंग रोड़ देहरादून
E-mail : infodg.uk@gmail.com, dg-info-uk@nic.in दूरभाष : 0135–2662971 / फैक्स : 2662334

पत्रांक :   / सू.एवंलो.सं.वि.(क्षे.प्र.)–11 / 2003   दिनांक 27 जुलाई, 2018

कार्यालय–आदेश

विभागीय आदेश संख्या 575 / सू.एवंलो.स.वि.(क्षे.प्र.)–11 / 2003 दिनांक 11 जुलाई के माध्यम से जिला सूचना कार्यालय, उत्तरकाशी में तैनात संरक्षक / डाटा एन्ट्री आपरेट्रर का स्थानान्तरण जिला सूचना कार्यालय, अल्मोड़ा हेतु किया गया था।

उक्त आदेश को शासकीय कार्य / जनहित में तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाता है।

(दीपेन्द्र कुमार चौधरी)
महानिदेशक

संख्या:638 (1) / सू.एवंलो.स.वि.(क्षे.प्र.)–11 / 2003, तद्दिनांकित्।
प्रतिलिपि निम्नांकित् को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. जिलाधिकारी, उत्तरकाशी / अल्मोड़ा।
2. वरिष्ठ कोषाधिकारी,उत्तरकाशी / अल्मोड़ा।
3. जिला सूचना कार्यालय, उत्तरकाशी / अल्मोड़ा।
4. संबंधित कार्मिक को।
5. संबंधित कार्मिक की निजी पत्रावली हेतु।

(डॉ. अनिल चन्दोला)
अपर निदेशक

उत्तराखण्ड सरकार
कार्यालय महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड
सूचना भवन, मसूरी बाईपास, लाडपुर, रिंग रोड, देहरादून
E-mail : infodg.uk@gmail.com, dg-info-uk@nic.in दूरभाष : 0135–2662971 / फैक्स : 2662334

पत्रांक : 695 / सू.एवंलो.स.वि.(प्रशा.)–27 / 2011 दिनांक : 16 अगस्त, 2018

कार्यालय आदेश

तात्कालिक प्रभाव से सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड के कनिष्ठ सहायक, श्री प्रशान्त रावत को, नियमित चयनोपरान्त, वरिष्ठ सहायक, वेतन मैट्रिक्स में लेवल–5, वेतनमान ₹ 29200–92300 के रिक्त पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से पदोन्नति करते हुए दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि में रखा जाता है।

2. उक्त पदोन्नति अस्थाई है। यदि उत्तर प्रदेश से उत्तराखण्ड के लिए आवंटित ज्येष्ठ कार्मिकों द्वारा सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड में कार्यभार ग्रहण किया जाता है तो श्री प्रशान्त रावत को कनिष्ठ सहायक के पद पर प्रत्यावर्तित कर दिया जायेगा।

(दीपेन्द्र कुमार चौधरी)
महानिदेशक

संख्या 695 / सू.एवंलो.सं.वि.(प्रशा.)–27 / 2011, तद्दिनांकित।
प्रतिलिपि निम्नांकित् को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, सहारनपुर रोड़, देहरादून।
2. वरिष्ठ वित्त अधिकारी, साइबर ट्रेजरी, कोषागार निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून को लेखा प्रभाग के माध्यम से।
3. समस्त विभागीय अधिकारी / प्रभाग / शाखाएं।
4. लेखा प्रभाग, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. संबंधित कार्मिकों को।
6. सम्बन्धित कार्मिक की निजी पत्रावली हेतु।
7. विभागीय वेबसाइट हेतु।

(डॉ. अनिल चन्दोला)
अपर निदेशक

स्पीड पोस्ट

उत्तराखण्ड सरकार

कार्यालय महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड

'सूचना भवन' लाडपुर रिंग रोड, देहरादून

E-mail : infodg.uk@gmail.com, dg-info-uk@nic.in दूरभाषः 0135–2662971 / फैक्सः 2662334

पत्रांकः /सू.एवंलो.सं.वि.(प्रशा.)–07/2005 दिनांक 15 अक्टूबर, 2018

कार्यालय आदेश

उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, देहरादून के पत्र संख्याः 1508, दिनांक 13.09.2018 के माध्यम से प्राप्त संस्तुति के आधार पर चयनित निम्नांकित अभ्यर्थियों को सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड में कनिष्ठ कैमरामैन/टी.वी. टैक्निशियन के पद पर लेवल–4 रू0 25500–81100 (पूर्व वेतन बैंड–1, वेतनमान रू0 5200–20200, ग्रेड वेतन रू 2400) में श्रेष्ठता कम में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन नियुक्ति प्रदान की जाती हैः–

1	**श्री विकास चौहान**, (अनुकमांक–1201000023 श्रेणी अनुसूचित जन जाति) पुत्र श्री माया सिंह चौहान, विजय पार्क एक्टेंशन, देहरादून।
2	**कु. रूचि जुयाल**, (अनुकमांक– 1201000010 श्रेणी सामान्य–महिला) पुत्री श्री ओम प्रकाश जुयाल, ग्राम व पोस्ट हर्रावाला, नियर पीलीकोठी, देहरादून

1. उपरोक्त नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है और किसी भी समय बिना पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकती है। यदि स्वास्थ्य परीक्षण अथवा चरित्र एवं प्राग्वृत सत्यापन में कोई प्रतिकूल तथ्य पाया जाता है तो यह नियुक्ति स्वतः ही निरस्त समझी जायेगी।
2. उपर्युक्त अभ्यर्थी कनिष्ठ कैमरामैन के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि में रहेंगे।
3. उपर्युक्त अभ्यर्थियों को तैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु कोई मार्ग व्यय देय नही होगा।
4. उपर्युक्त अभ्यर्थियों को शासन द्वारा समय–समय पर स्वीकृत/देय मंहगाई एवं अन्य भत्ते भी अनुमन्य होंगे।
5. उपर्युक्त अभ्यर्थियों को कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व निम्नलिखित प्रमाण–पत्र/प्रपत्र भी प्रस्तुत करने होंगेः–
   1. अधिकृत शासकीय चिकित्सक का स्वस्थता प्रमाण–पत्र।
   2. समस्त चल–अचल सम्पत्ति से संबंधित घोषणा, जिसके वह स्वामी हो।
   3. अभ्यर्थी द्वारा केन्द्र एवं राज्य सरकार के अधीन अब तक की गई सेवा के संबंध में घोषणा–पत्र तथा संघ अथवा राज्य की सेवा से पदच्युत न किये जाने का प्रमाण–पत्र।
   4. वैवाहिक स्थिति। यदि विवाहित है तो एक से अधिक जीवित पति/पत्नी न होने की घोषणा/शपथ–पत्र।
   5. दो राजपत्रित ऐसे अधिकारी, जो सक्रिय सेवा में हों, किन्तु उनके संबंधी न हों, के द्वारा जारी चरित्र प्रमाण–पत्र।
   6. अंतिम स्कूल अथवा संस्था का चरित्र प्रमाण–पत्र।
   7. किसी न्यायालय में कोई अभियोजन न चलाये जाने तथा न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने के संबंध में एक घोषणा पत्र।
   8. समस्त शैक्षिक योग्यता से संबंधित प्रमाण–पत्र, अनुभव प्रमाण पत्र, उत्तराखण्ड में स्थित किसी सेवायोजन कार्यालय में जीवित पंजीकरण से संबंधित प्रमाण–पत्र, लागू आरक्षण श्रेणी/उप आरक्षण श्रेणी से संबंधित प्रमाण–पत्र तथा केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार के अधीन कार्यरत अभ्यर्थी होने की स्थिति में संबंधित विभाग द्वारा देय अनापत्ति प्रमाण–पत्र की प्रति।
   9. लिखित रूप में एक "under taking" कि यदि पुलिस सत्यापन, चरित्र एवं प्राग्वृत सत्यापन तथा चिकित्सा परीक्षण के पश्चात उसे सरकारी सेवा के लिए उपयुक्त नही पाया जाता है तो यह नियुक्ति निरस्त समझी जाए। जिसके लिए वह किसी क्षतिपूर्ति का हकदार नही होगा/होगी।
   10. चरित्र एवं प्राग्वृत सत्यापन फार्म आदि भरकर (संलग्न)।

–––कमशःपृष्ठ–2/–

संबंधित अभ्यर्थियों को आदेश जारी होने की तिथि से एक माह के अन्दर महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड, सूचना भवन, लाडपुर ,रिंग रोड, देहरादून के कार्यालय में कार्यभार ग्रहण करना होगा। उक्त निर्धारित अवधि के अन्दर कार्यभार ग्रहण न करने की दशा में यह मान लिया जायेगा कि उन्हें नियुक्ति स्वीकार्य नहीं है और उसके नियुक्ति आदेश निरस्त कर दिये जायेंगे।

संलग्नः– यथोपरि।

(दीपेन्द्र कुमार चौधरी)
महानिदेशक

संख्याः 1076 (1) सू.एवंलो.सं.वि.(प्रशा.)–07/2005, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, सहारनपुर रोड,देहरादून।
2. सचिव सूचना, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
3. सचिव, उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, रिंग रोड, लाडपुर, देहरादून को उनके पत्र संख्याः 1508 दिनांक 13.09.2018 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।
4. समस्त क्षेत्रीय सेवायोजन अधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. वित्त अधिकारी, साइबर ट्रेजरी, कोषागार निदेशालय, उत्तराखण्ड देहरादून को लेखा प्रभाग के माध्यम से।
6. लेखा प्रभाग, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. संबंधित अभ्यर्थियों को।
8. संबंधित अभ्यर्थियों की निजी पत्रावली हेतु।
9. विभागीय वेबसाइट हेतु।

(डा0 अनिल चन्दोला)
अपर निदेशक

स्पीड पोस्ट

उत्तराखण्ड सरकार

कार्यालय महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड

'सूचना भवन' लाडपुर रिंग रोड, देहरादून

E-mail : infodg.uk@gmail.com, dg-info-uk@nic.in दूरभाषः 0135–2662971 / फैक्सः 2662334

पत्रांकः 1016 / सू.एवंलो.सं.वि.(प्रशा.)–07 / 2005 दिनांक 26 नवम्बर अक्टूबर, 2018

कार्यालय आदेश

उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, देहरादून के पत्र संख्याः 1540, दिनांक 24.09.2018 के माध्यम से प्राप्त संस्तुति के आधार पर चयनित निम्नांकित अभ्यर्थियों को सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड में कैमरामैन (पद कोड 13.2) के पद पर लेवल–6 रू0 35400–112400 (पूर्व वेतन बैंड–1, वेतनमान रू0 9,300–34,800, ग्रेड वेतन रू 4200) में श्रेष्ठता कम में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन नियुक्ति प्रदान की जाती हैः–

1	**श्री ललित मोहन** (अनुकमांक–1201000008 श्रेणी सामान्य) पुत्र स्व0 श्री देवकी नन्दन, द्वारा जे.पी सोलंकी, म.नं. 285, बडवाला चौक, पूठ कला, नियर ब्रहमशक्ति हास्पिटल, सेक्टर–20 रोहणी, दिल्ली, (lalit.media@mail.com)
2	**श्री दिपेन्दर कुमार** (अनुकमांक–1201000002 श्रेणी सामान्य–) पुत्र श्री कीर्ति सिंह, ए–139, दुर्गा विहार, निकट सैनिक स्कूल फार्म, न्यू दिल्ली (dipender_rawat66@yahoo.com)

1. उपरोक्त नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है और किसी भी समय बिना पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकती है। यदि स्वास्थ्य परीक्षण अथवा चरित्र एवं प्राग्वृत सत्यापन में कोई प्रतिकूल तथ्य पाया जाता है तो यह नियुक्ति स्वतः ही निरस्त समझी जायेगी।
2. उपर्युक्त अभ्यर्थी कैमरामैन के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि में रहेंगे।
3. उपर्युक्त अभ्यर्थियों को तैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु कोई मार्ग व्यय देय नही होगा।
4. उपर्युक्त अभ्यर्थियों को शासन द्वारा समय–समय पर स्वीकृत/देय मंहगाई एवं अन्य भत्ते भी अनुमन्य होंगे।
5. उपर्युक्त अभ्यर्थियों को कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व निम्नलिखित प्रमाण–पत्र/प्रपत्र भी प्रस्तुत करने होंगेः–
    1. अधिकृत शासकीय चिकित्सक का स्वस्थता प्रमाण–पत्र।
    2. समस्त चल–अचल सम्पत्ति से संबंधित घोषणा, जिसके वह स्वामी हो।
    3. अभ्यर्थी द्वारा केन्द्र एवं राज्य सरकार के अधीन अब तक की गई सेवा के संबंध में घोषणा–पत्र तथा संघ अथवा राज्य की सेवा से पदच्युत न किये जाने का प्रमाण–पत्र।
    4. वैवाहिक स्थिति। यदि विवाहित है तो एक से अधिक जीवित पति/पत्नी न होने की घोषणा/शपथ–पत्र।
    5. दो राजपत्रित ऐसे अधिकारी, जो सकिय सेवा में हों, किन्तु उनके संबंधी न हों, के द्वारा जारी चरित्र प्रमाण–पत्र।
    6. अंतिम स्कूल अथवा संस्था का चरित्र प्रमाण–पत्र।
    7. किसी न्यायालय में कोई अभियोजन न चलाये जाने तथा न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने के संबंध में एक घोषणा पत्र।
    8. समस्त शैक्षिक योग्यता से संबंधित प्रमाण–पत्र, अनुभव प्रमाण पत्र, उत्तराखण्ड में स्थित किसी सेवायोजन कार्यालय में जीवित पंजीकरण से संबंधित प्रमाण–पत्र, लागू आरक्षण श्रेणी/उप आरक्षण श्रेणी से संबंधित प्रमाण–पत्र तथा केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार के अधीन कार्यरत अभ्यर्थी होने की स्थिति में संबंधित विभाग द्वारा देय अनापत्ति प्रमाण–पत्र की प्रति।
    9. लिखित रूप में एक "under taking" कि यदि पुलिस सत्यापन, चरित्र एवं प्राग्वृत सत्यापन तथा चिकित्सा परीक्षण के पश्चात उसे सरकारी सेवा के लिए उपयुक्त नही पाया जाता है तो यह नियुक्ति निरस्त समझी जाए। जिसके लिए वह किसी क्षतिपूर्ति का हकदार नही होगा/होगी।
    10. चरित्र एवं प्राग्वृत सत्यापन फार्म आदि भरकर (संलग्न)।

संबंधित अभ्यर्थियों को आदेश जारी होने की तिथि से एक माह के अन्दर महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड, सूचना भवन, लाडपुर ,रिंग रोड, देहरादून के कार्यालय में कार्यभार ग्रहण करना होगा। उक्त निर्धारित अवधि के अन्दर कार्यभार ग्रहण न करने की दशा में यह मान लिया जायेगा कि उन्हें नियुक्ति स्वीकार्य नहीं है और उसके नियुक्ति आदेश निरस्त कर दिये जायेंगे।

संलग्नः– यथोपरि।

(दीपेन्द्र कुमार चौधरी)
महानिदेशक

संख्याः 940 (1) सू.एवंलो.सं.वि.(प्रशा.)–07/2005, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, सहारनपुर रोड,देहरादून।
2. सचिव सूचना, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
3. सचिव, उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, रिंग रोड, लाडपुर, देहरादून को उनके पत्र संख्याः 1508 दिनांक 13.09.2018 के कम में सूचनार्थ प्रेषित।
4. समस्त क्षेत्रीय सेवायोजन अधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. वित्त अधिकारी, साइबर ट्रेजरी, कोषागार निदेशालय, उत्तराखण्ड देहरादून को लेखा प्रभाग के माध्यम से।
6. लेखा प्रभाग, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. संबंधित अभ्यर्थियों को।
8. संबंधित अभ्यर्थियों की निजी पत्रावली हेतु।
9. विभागीय वेबसाइट हेतु।

(डा0 अनिल चन्दोला)
अपर निदेशक

पंजीकृत/ई–मेल

उत्तराखण्ड सरकार

कार्यालय महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड

'सूचना भवन' लाडपुर रिंग रोड, देहरादून

E-mail : infodg.uk@gmail.com, dg-info-uk@nic.in दूरभाष: 0135–2662971/फैक्स: 2662334

पत्रांकः 95 /सू.एवंलो.सं.वि.(प्रशा.)–44/2007 दिनांक 31 जनवरी, 2019

कार्यालय आदेश

तात्कालिक प्रभाव से सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड के कैमरामैन, श्री केवल सिंह को, नियमानुसार चयनोपरान्त, फोटो/फिल्म अधिकारी, लेवल–7, वेतनमान ₹44900–142400 के रिक्त पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से पदोन्नति करते हुए दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि में रखा जाता है।

2. उक्त पदोन्नति अस्थाई है। यदि उत्तर प्रदेश से उत्तराखण्ड राज्य के लिए आवंटित ज्येष्ठ कार्मिक द्वारा सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड में कार्यभार ग्रहण किया जाता है तो श्री केवल सिंह को कैमरामैन के पद पर प्रत्यावर्तित कर दिया जायेगा।

3. प्रश्नगत पदोन्नति श्री केवल सिंह द्वारा मा. उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड, नैनीताल में योजित अवमानना याचिका संख्याः 973/2018 अथवा इससे संबंधित अन्य याचिकाओं में पारित होने वाले अन्तिम आदेश के अधीन रहेगी।

(दीपेन्द्र कुमार चौधरी)
महानिदेशक

संख्या 95 (1) /सू.एवंलो.सं.वि.(प्रशा.)–44/2007, तद्दिनांकित्।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, सहारनपुर रोड़, देहरादून।
2. सचिव सूचना, उत्तराखण्ड शासन।
3. वित्त अधिकारी, साइबर ट्रेजरी, कोषागार निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून को लेखा प्रभाग के माध्यम से।
4. समस्त विभागीय अधिकारी/प्रभाग।
5. निदेशक, राजकीय मुद्राणालय, रूडकी को इस आशय से प्रेषित की कृपया इसका प्रकाशन आगामी प्रकाशित होने वाले गजट में करते हुए उसकी 20 प्रतियां इस विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
6. लेखा प्रभाग, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. सम्बन्धित कार्मिक को।
8. सम्बन्धित कार्मिक की निजी पत्रावली हेतु।
9. विभागीय वेबसाइट हेतु।

(दीपेन्द्र कुमार चौधरी)
महानिदेशक

स्पीड पोस्ट

उत्तराखण्ड सरकार

कार्यालय महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड

'सूचना भवन' लाडपुर रिंग रोड, देहरादून

E-mail : infodg.uk@gmail.com, dg-info-uk@nic.in दूरभाष: 0135-2662971 / फैक्स: 2662334

पत्रांकः /सू.एवंलो.सं.वि.(प्रशा.)-07/2005 दिनांक 12 फरवरी, 2019

कार्यालय आदेश

उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, देहरादून के पत्र संख्याः 1574, दिनांक 21.03.2018 के माध्यम से सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड में वैयक्तिक सहायक (पद कोड 7.10) के पद पर नियुक्ति हेतु 04 चयनित अभ्यर्थियों की संस्तुति प्राप्त हुई थी। लेकिन रिट याचिका संख्या-628/2018 शिशांक व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में पारित मा. उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड, नैनीताल के स्थगनादेश आदेश दिनांक 11.04.2018 के अनुक्रम में नियुक्ति प्रकिया अग्रिम आदेशों तक स्थगित रखी गयी थी। कालान्तर में इस संबंध में उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से प्राप्त पत्र संख्याः 1955, दिनांक 12.12.18 के माध्यम से दिनांक 27.11.2018 को मा. उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड, नैनीताल द्वारा पूर्व में पारित स्थगनादेश को vacate कर दिये जाने की सूचना प्राप्त हुई। अतः उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, देहरादून के उल्लिखित पत्रों के अनुकम में सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड में वैयक्तिक सहायक, लेवल-5, वेतनमान ₹29200-92300 के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से निम्नांकित अभ्यर्थियों को निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन नियुक्ति प्रदान की जाती है:-

1	**श्री अंकित कुमार** (अनुकमांक-1205000035 श्रेणी सामान्य) पुत्र श्री ऋषिपाल सिंह, आन्नेकी, पो औरंगाबाद, हरिद्वार-249402 (ankitcc879@gmail.com)
2.	**श्री विजय झिक्वांण** (अनुकमांक-1201000431 श्रेणी सामान्य) पुत्र श्री भगवन्त सिंह झिक्वांण, शिवपुरम् नकरौंदा, देहरादून-(vizz25aug@gmail.com)
3.	**कु. आरती गुणवन्त** (अनुकमांक-2402000394 श्रेणी सामान्य-महिला) पुत्री श्री मदन मोहन गुणवन्त, माँ गिरजा विहार, कमलुवागांजा, हल्द्वानी, नैनीताल-263139 (arti.gunwant 1993 @) gmail.com)
4.	**कु. रीनू कुमारी** (अनुकमांक- 2408000299 श्रेणी अनुसूचित जाति) पुत्री श्री श्यामलाल, ग्राम मुरलीवाला, पो. जसपुर, उद्यमसिंहनगर-244712 (reenusingh10817 @) gmail.com)

1. उपरोक्त नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है और किसी भी समय बिना पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकती है। यदि स्वास्थ्य परीक्षण अथवा चरित्र एवं प्राग्वृत सत्यापन में कोई प्रतिकूल तथ्य पाया जाता है तो यह नियुक्ति स्वतः ही निरस्त समझी जायेगी।
2. उपर्युक्त अभ्यर्थी वैयक्तिक सहायक के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि में रहेगें।
3. उपर्युक्त अभ्यर्थियों को तैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु कोई मार्ग व्यय देय नहीं होगा।
4. उपर्युक्त अभ्यर्थियों को शासन द्वारा समय-समय पर स्वीकृत/देय मंहगाई एवं अन्य भत्ते भी अनुमन्य होंगे।
5. उपर्युक्त अभ्यर्थियों को कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व निम्नलिखित प्रमाण-पत्र/प्रपत्र भी प्रस्तुत करने होंगे:-
   1. अधिकृत शासकीय चिकित्सक का स्वस्थता प्रमाण-पत्र।
   2. समस्त चल-अचल सम्पत्ति से संबंधित घोषणा, जिनके वह स्वामी हो।
   3. अभ्यर्थी द्वारा केन्द्र एवं राज्य सरकार के अधीन अब तक की गई सेवा के संबंध में घोषणा-पत्र तथा संघ अथवा राज्य की सेवा से पदच्युत न किये जाने का प्रमाण-पत्र।
   4. वैवाहिक स्थिति। यदि विवाहित हैं तो एक से अधिक जीवित पति/पत्नी न होने की घोषणा/शपथ-पत्र।
   5. दो राजपत्रित ऐसे अधिकारी, जो सकिय सेवा में हों, किन्तु उनके संबंधी न हों, के द्वारा जारी चरित्र प्रमाण-पत्र।
   6. अंतिम स्कूल अथवा संस्था का चरित्र प्रमाण-पत्र।

7. किसी न्यायालय में कोई अभियोजन न चलाये जाने तथा न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने के संबंध में एक घोषणा पत्र।
8. समस्त शैक्षिक योग्यता से संबंधित प्रमाण–पत्र, अनुभव प्रमाण पत्र, उत्तराखण्ड में स्थित किसी सेवायोजन कार्यालय में जीवित पंजीकरण से संबंधित प्रमाण–पत्र, लागू आरक्षण श्रेणी/उप आरक्षण श्रेणी से संबंधित प्रमाण–पत्र तथा केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार के अधीन कार्यरत अभ्यर्थी होने की स्थिति में संबंधित विभाग द्वारा देय अनापत्ति प्रमाण–पत्र की प्रति।
9. लिखित रूप में एक "under taking" कि यदि मा. न्यायालयों/मा. न्यायाधिकरणों के कोई आदेश, पुलिस सत्यापन, चरित्र प्राग्वृत सत्यापन तथा चिकित्सा परीक्षण के पश्चात उसे सरकारी सेवा के लिए उपयुक्त नहीं पाया जाता है तो यह नियुक्ति निरस्त समझी जाए। जिसके लिए वह किसी क्षतिपूर्ति का हकदार नहीं होगा/होगी।
10. चरित्र एवं प्राग्वृत सत्यापन फार्म आदि भरकर (संलग्न)।

संबंधित अभ्यर्थियों को आदेश जारी होने की तिथि से एक माह के अन्दर महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड, सूचना भवन, लाडपुर ,रिंग रोड, देहरादून के कार्यालय में कार्यभार ग्रहण करना होगा। उक्त निर्धारित अवधि के अन्दर कार्यभार ग्रहण न करने की दशा में यह मान लिया जायेगा कि उसे/उन्हें नियुक्ति स्वीकार्य नहीं है और उसके/उनके नियुक्ति आदेश निरस्त कर दिये जायेंगे।

संलग्नः– यथोपरि।

(दीपेन्द्र कुमार चौधरी)
महानिदेशक

संख्याः 129 (1)सू.एवंलो.सं.वि.(प्रशा.)–07/2005, तद्‌दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, कौलागढ़ रोड, देहरादून।
2. सचिव सूचना, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
3. सचिव, उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, रिंग रोड, लाडपुर, देहरादून को उनके पत्र संख्या–1574, दिनांक 21.03.2018 तथा पत्र संख्या–1955, दिनांक 12.12.2018 के कम में सूचनार्थ प्रेषित।
4. समस्त क्षेत्रीय सेवायोजन अधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. वित्त अधिकारी, साइबर ट्रेजरी, कोषागार निदेशालय, उत्तराखण्ड देहरादून को लेखा प्रभाग के माध्यम से।
6. लेखा प्रभाग, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. संबंधित अभ्यर्थियों को।
8. संबंधित अभ्यर्थियों की निजी पत्रावली हेतु।
9. विभागीय वेबसाइट हेतु।

(दीपेन्द्र कुमार चौधरी)
महानिदेशक

केवल E-mail/Fax द्वारा

उत्तराखण्ड सरकार

कार्यालय महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड
'सूचना भवन' लाडपुर रिंग रोड, देहरादून

E-mail : infodg.uk@gmail.com, dg-info-uk@nic.in दूरभाष: 0135–2662971 / फैक्स: 2662334

पत्रांक : 221/सू.एवंलो.सं.वि.(प्रशा.)–52/2008 दिनांक 8 मार्च, 2019

कार्यालय आदेश

सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग के अधीन उत्तराखण्ड राज्य सूचना केन्द्र, नई दिल्ली में प्रतिनियुक्ति के आधार पर अनुवादक के पद पर कार्यरत श्रीमती अंजू धपोला, सहायक अध्यापिका (एल. टी.), राजकीय इंटर कालेज, धारचूला, पिथौरागढ की प्रतिनियुक्ति अवधि, पूर्व में इस कार्यालय के आदेश संख्याः 4461/सू.एवंलो.सं.वि.(प्रशा.)–52/2008, दिनांक 02 मार्च, 2009 के माध्यम से निर्धारित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन, **एक वर्ष** अर्थात् दिनांक 16 मार्च, 2019 से **15 मार्च, 2020** तक एतद्द्वारा विस्तारित की जाती है।

(दीपेन्द्र कुमार चौधरी)
महानिदेशक

संख्याः 221 (1)/सू.एवंलो.सं.वि.(प्रशा.)–52/2008, तद्दिनांकित

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निजी सचिव, मा. मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड को मा. मुख्यमंत्री जी के संज्ञानार्थ।
2. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, सहारनपुर रोड, देहरादून।
3. प्रमुख स्थानिक आयुक्त, उत्तराखण्ड शासन, नई दिल्ली।
4. सचिव सूचना, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
5. सचिव, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
6. महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा तपोवन, सहस्त्रधारा रोड़, देहरादून।
7. संयुक्त निदेशक, शिक्षा, कुमॉऊ मण्डल, नैनीताल।
8. वित्त एवं लेखाधिकारी, उत्तराखण्ड निवास, नई दिल्ली।
9. प्रभारी, उत्तराखण्ड राज्य सूचना केन्द्र, नई दिल्ली।
10. जिला शिक्षा अधिकारी, पिथौरागढ़।
11. प्रधानाचार्य, राजकीय इंटर कालेज, धारचूला, पिथौरागढ़।
12. समस्त विभागीय अधिकारी।
13. लेखा प्रभाग, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
14. संबंधित कार्मिक।
15. विभागीय वेबसाइट हेतु।

(दीपेन्द्र कुमार चौधरी)
महानिदेशक